राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांक : F40(24) ग्रावि/नरेगा/San./Watershed/2010 जयपुर, दिनांक : 12 JUL 2022

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जल ग्रहण विकास योजनाओं को सम्मिलित कर कृषकों की आय बढ़ाने के लिए आगामी 2 वर्षों में 50 हजार फॉर्म पौण्ड–डिग्गी एवं टांका निर्माण बाबत।

संदर्भ :– पन्द्रहवीं विधानसभा के सप्तम सत्र में माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि द्वारा विधानसभा में दिनांक 15.03.2022 को कटौती प्रस्ताव के संबंध में की गई घोषणा के क्रम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पन्द्रहवीं विधानसभा के सप्तम सत्र में विभागीय मांगों पर चर्चा के प्रत्युतर में माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा निम्नानुसार घोषणा की गई–

महात्मा गांधी नरेगा योजना में जल ग्रहण विकास योजनाओं को सम्मिलित कर कृषकों की आय बढाने के लिये आगामी 2 वर्षो में 50 हजार फॉर्म पॉण्ड डिग्गी, टॉकों का निर्माण लगभग 600 करोड रू की लागत से कराया जायेगा। इससे लगभग 10 हजार हैक्टेयर भूमि सिचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

इस घोषणा के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार की घोषणाएं हैं–

1. कृषकों की आय बढ़ाने के लिए आगामी 2 वर्ष में 50 हजार फॉर्म पौण्ड–डिग्गी एवं टांका निर्माण करवाया जाए।
2. इस हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना में जल ग्रहण विकास योजनाओं को सम्मिलित कर कार्य कराये जाएं अर्थात इनमें योजनाओं का अभिसरण रखा जाए।

वर्तमान में कतिपय जिलों में व्यक्तिगत कार्यों के अंतर्गत टांका निर्माण में दो प्रकार की विसंगतियां परिलक्षित हुई हैं–

प्रथमः– सामग्री प्रधान कार्य होने के कारण इनमें श्रम सामग्री का अनुपात नियमानुसार सुनिश्चित करने के लिए श्रम मद में ऐसे अनावश्यक कार्य ले लिए गए जो न तो आवश्यक थे और न ही वहां पर समुचित रूप में कियान्वित हुए।

द्वितीयः– नरेगा के नियमानुसार व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में प्रथम वरीयता के अतंर्गत आने वाले लाभार्थियों (एससी, एसटी, बीपीएल, राजकीय योजना में आवास के लाभार्थी, दिव्यांग, एकल महिला परिवार आदि) को पूरी तरह या उस योजना में लाभान्वित किये बिना लघु एवं सीमान्त कृषकों के कार्य स्वीकृत किये गये।

Scanned with CamScanner

इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए उक्त घोषणा में समुचित सावधानी बरतते हुए कार्यवाही की जानी है। इसमें निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए–

1. टांका निर्माण में व्यक्तिगत टांका निर्माण से पहले सभी राजकीय सामुदायिक भवनों जैसे– राजीव गांधी आईटी सेन्टर, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, विद्यालय, एएनएम सब–सेन्टर, पशु चिकित्सालय, पटवार भवन व अन्य सामुदायिक शौचालय, बस स्टैण्ड या यात्री शेड, श्मशान में लोगों के बैठने के शेड आदि में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग को जोड़ते हुए सामुदायिक टांके बनाये जाए। जिन पंचायत समितियों के मुख्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में हो, वहां भी सामुदायिक टांके बनाये जाए। जहां पर पहले से टांका विद्यमान हो परन्तु रूफ वाटर हार्वेस्टिग से न जुड़ा हो वहां उन्हें रूफ वाटर हार्वेस्टिग से जोड़ने का भी कार्य लिया जाए। जहां पर पानी की आवक अधिक है, वहां एक से अधिक भी टांके लिए जा सकते हैं तथा जहां आवश्यक हो वहां ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग के लिए आवश्यक संरचना भी बनायी जा सकती है। जहां अतिरिक्त पानी हो वहां टांके के साथ पशुओं को पानी पीने के लिए पशु खेली भी बनायी जा सकती है। भवन के पास बिल्डिग लाइन में प्लेटफॉर्म के रूप में बनाये जाने हेतु टांके की डिजाइन गोलाकार की बजाय आयताकार भी रखी जा सकती है, ताकि उसमें स्थान का उपयोग अन्य रूप में भी संभव हो सके। इसमें श्रम सामग्री अनुपात को सुनिश्चित करने के लिए उसके परिसर में पौधशाला या पोषण वाटिका या वृक्षारोपण संबंधी कार्य भी लिया जा सकता है। इनके सामुदायिक भवनों के अतिरिक्त ऐसे खेल मैदान या प्रांगण जहां पक्का फर्श पर्याप्त रूप में निर्मित है, वहां भी उसके किनारे जल प्रवाह की नाली बनाते हुए समुचित स्थान पर टांका बनाया जा सकता है। इसमें डिजाइनिंग के समय यह ध्यान में रखा जाए कि टांके के प्लेटफॉर्म का भी समुचित और सार्थक उपयोग सुनिश्चित हो सके।
2. व्यक्तिगत टांकों के निर्माण में प्रथम वरीयता के लाभार्थियों को ही टांका स्वीकृत किए जाए और उसमें कोई डिजाइनिंग न की जाए जिसमें अनावश्यक के एस्टीमेट या कार्य सम्मिलित हो। इनमें भी लाभार्थी के व्यय पर उसके आवास की छत का पानी भी उससे जोड़े जाने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि टांके के लिए केचमेंट या आगोर बड़ा हो सके। इसमें भी उसके परिसर में पौधशाला या पोषण वाटिका या वृक्षारोपण संबंधी कार्य भी लिया जा सकता है।
3. फार्म पॉण्ड तथा डिग्गी निर्माण में भी सामुदायिक निर्माण को पहले वरीयता से लिया जाना है। इसके भीतर यह उचित होगा कि सर्वप्रथम समस्त चारागाहों में पर्याप्त संख्या में फार्म पॉण्ड, डिग्गी बना लिये जाए। वस्तुतः फार्म पॉण्ड तथा डिग्गी में मुख्य भेद यह किया जाता है कि जहां डिग्गी के नीचे भाग में पोलीशीट या माइक्रोशीट के उपरांत उपर से ईंट या पत्थर से पक्का कार्य किया जाता है, वहीं फॉर्म पॉण्ड में यह संरचना कच्ची या पोलीशीट या माइक्रोशीट की हो सकती है। दोनों ही स्थितियों में इनका उद्देश्य एक है। सामान्यतौर पर चारागाहों में जल संरक्षण के नवीन कार्य या तो लिए ही नहीं जाते या फिर केवल तालाब या नाडी संबंधी ही कार्य लिए जाते हैं। इनमें विस्तार अधिक होने नीचे के भाग में पक्की

Scanned with CamScanner

संरचना न होने से पानी अधिक समय तक नहीं रूकता और कई बार कम समय में ही पशुओं के लिए भी पानी का अभाव हो जाता है। अतः इसमें चारागाह व सामुदायिक भूमि में ऐसे कार्यों को प्राथमिकता से लिया जाए। ऐसे कार्यों की संरचना वर्गाकार या आयताकार के अतिरिक्त गोलाकार भी रखी जा सकती है।

4. फार्म पॉण्ड तथा डिग्गी निर्माण में भी सामुदायिक निर्माण को चारागाह के अतिरिक्त कच्चे तालाबों में भी लिया जा सकता है। इसमें चूंकि वहां पहले से पानी की आवक विद्यमान होती है, उसकी ग्राउंड लेवल यथावत रखते हुए उसके साथ ऐसे पक्के पॉण्ड या डिग्गी बनाने से वहां तालाब के एक भाग में अपेक्षाकृत लम्बे समय तक पानी उपलब्ध रहेगा।
5. सामुदायिक फार्म पॉण्ड की डिजाइनिंग में तीन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए–
   - उसके किनारे स्लॉप या ढाल के रूप में हो या घाट के रूप में हो, ताकि आकस्मिक रूप से गहराई बढने से कोई पशु या जन–धन की हानि न हो।
   - इसकी अधिकतम गहराई भी चार–पांच फीट ही रखी जाए, ताकि उसे सबके लिए सुरक्षित रखा जा सके। जहां पर समुचित फैंसिंग या सुरक्षा हो वहां आवश्यकतानुसार निर्णय लेते हुए यह गहराई बढायी जा सकती है।
   - सामुदायिक फार्म पॉण्ड या डिग्गी के बॉटम या तल में भी समुचित ढाल रखी जाए ताकि उसमें कोई दुर्घटना संभावित न हो।
6. सामुदायिक फॉर्म पॉण्ड तथा डिग्गी के विकास में चूंकि चारागाहों को प्राथमिकता से लिया जाना है, अतः वहां पर पहले से इसके लिए लो–लाइन एरिया में स्थान चिन्हित कर लिया जाए। जहां पर चारागाह में क्लॉजर बनाने या उसके किनारों पर डिच कम बंडिग बनायी जा रही है, वहां भी उसकी डिच को नाले के रूप में बनाते हुए उस चारागाह के फॉर्म पॉण्ड में उस पानी को लाने की व्यवस्था की जाए। चारागाह विकास के अंतर्गत श्रम प्रधान अनेक कार्यों की विपुल संभावना होती है, जिसमें पौधशाला पोषण वाटिका तथा फलदार/वानिकी पौधों के कार्य लिए जाएं। चारागाह विकास के लिए पृथक से भी निर्देश जारी किये जाएंगे।
7. व्यक्तिगत फार्म पॉण्ड में भी व्यक्तिगत टांकों के समान ही लाभार्थियों के चयन हेतु उक्तानुसार निर्देशों की पालना की जाए।
8. ऐसी प्रत्येक डिजाइनिंग को पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सहायक/कनिष्ठ अभियंता– नरेगा एवं ग्रामीण विकास या पंचायती राज तथा सहायक/कनिष्ठ अभियंता– वाटर शेड तथा सहायक लेखाधिकारी (लेखा सेवा का वरिष्ठ अधिकारी) को सम्मिलित करते हुए अनुमोदन किया जाए। इसमें आवश्यकतानुसार कनिष्ठ तकनीकी सहायक या आर्किटेक्ट का भी तकनीकी परामर्श लिया जावे। कोई भी ऐसी संरचना जहां व्यक्तिगत लाभ के अंतर्गत कार्य स्वीकृत किए जा रहे हो और उसकी लागत दो लाख रूपये से अधिक हो, वहां उसके समस्त कार्य के औचित्य व उपयोग को प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा। व्यक्तिगत लाभ के अंतर्गत कार्य में स्वयं लाभार्थी को भी अपनी ओर से अंशदान करते हुए कार्य को बेहतर तथा अधिक उपयोगी बनाने के प्रयास किये जाएं।

Scanned with CamScanner

9. चूंकि उक्त कार्यों में महात्मा गांधी नरेगा योजना तथा जल ग्रहण विकास योजनाओं का अभिसरण करने की अपेक्षा रखी गई है, अतः जल–ग्रहण एवं भू–संरक्षण विकास विभाग द्वारा अपने प्रत्येक कार्य में नरेगा से नियमानुसार अभिसरण सुनिश्चित किया जाएगा।

उक्त घोषणा के क्रम में महात्मा गांधी नरेगा योजना आगामी 2 वर्षों में निर्मित किये जाने वाले फॉर्म पॉण्ड–डिग्गी एवं टांका निर्माण कार्यों के जिलेवार लक्ष्य आवंटित कर भिजवाए जा रहे हैं। यद्यपि घोषणा 50,000 संरचनाओं की ही है, किन्तु जहां पर श्रम सामग्री के नियमानुसार अनुपात को सुरक्षित रखते हुए इससे अधिक कार्य लिए जा सकते हैं, तो उन्हें भी लिया जा सकता है। कुल घोषित जल संरचनाओं में से लगभग आधे अर्थात् 25,000 फॉर्म पॉण्ड–डिग्गी एवं टांका निर्माण के कार्य जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा सम्पादित करवाये जायेंगे। कृपया नियमानुसार इन कार्यों की स्वीकृतियां जारी कर कार्य करवाने जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नकः– उक्तानुसार।

(कृष्णा कान्त पाठक)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
4. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, पंत कृषि भवन जयपुर।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
6. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त।

(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस

Scanned with CamScanner

फार्मपौण्ड / टांका / डिग्गी निर्माण कार्यो के लक्ष्य

क्र.सं.	जिला	ग्राम पंचायतों की संख्या	फॉर्मपौण्ड / डिग्गी			टांका			महायोग		
			सामुदायिक	व्यक्तिगत	योग	सामुदायिक	व्यक्तिगत	योग	सामुदायिक	व्यक्तिगत	योग
1.	अजमेर	325	1000	100	1100	1000	100	1100	2000	200	2200
2.	अलवर	572	2000	100	2100	2000	0	2000	4000	100	4100
3.	बांसवाड़ा	417	1400	100	1500	1300	0	1300	2700	100	2800
4.	बारां	232	600	100	700	600	0	600	1200	100	1300
5.	बाड़मेर	689	1800	100	1900	2000	100	2100	3800	200	4000
6.	भरतपुर	400	1500	100	1600	1200	0	1200	2700	100	2800
7.	भीलवाड़ा	398	1400	100	1500	1200	0	1200	2600	100	2700
8.	बीकानेर	367	800	100	900	1500	100	1600	2300	200	2500
9.	बून्दी	184	500	100	600	700	0	700	1200	100	1300
10.	चित्तौड़गढ़	299	800	100	900	1100	0	1100	1900	100	2000
11.	चुरू	304	700	100	800	1200	100	1300	1900	200	2100
12.	दौसा	286	700	100	800	1100	0	1100	1800	100	1900
13.	धौलपुर	188	400	100	500	800	0	800	1200	100	1300
14.	डूंगरपुर	353	1000	100	1100	1200	0	1200	2200	100	2300
15.	हनुमानगढ़	269	700	100	800	800	100	900	1500	200	1700
16.	जयपुर	602	1500	100	1600	2000	0	2000	3500	100	3600
17.	जैसलमेर	206	400	100	500	800	100	900	1200	200	1400
18.	जालोर	307	500	100	600	1400	100	1500	1900	200	2100
19.	झालावाड़	254	700	100	800	600	0	600	1300	100	1400
20.	झुन्झुनू	337	900	100	1000	1000	100	1100	1900	200	2100
21.	जोधपुर	627	1200	100	1300	2200	100	2300	3400	200	3600
22.	करौली	241	800	100	900	700	0	700	1500	100	1600
23.	कोटा	156	600	100	700	300	0	300	900	100	1000
24.	नागौर	500	1000	100	1100	2000	100	2100	3000	200	3200
25.	पाली	341	600	100	700	1200	100	1300	1800	200	2000
26.	प्रतापगढ़	235	900	100	1000	400	0	400	1300	100	1400
27.	राजसमन्द	214	1000	100	1100	500	0	500	1500	100	1600
28.	सवाई माधोपुर	227	1000	100	1100	500	0	500	1500	100	1600
29.	सीकर	375	500	100	600	2000	100	2100	2500	200	2700
30.	सिरोही	170	600	100	700	800	100	900	1400	200	1600
31.	श्रीगंगानगर	344	1800	100	1900	800	0	800	2600	100	2700
32.	टोंक	236	1200	100	1300	700	0	700	1900	100	2000
33.	उदयपुर	652	2500	100	2600	1800	0	1800	4300	100	4400
	योग	11307	33000	3300	36300	37400	1300	38700	70400	4600	75000

Scanned with CamScanner